अनुदान संख्या 43 – अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 43–INDIRECT TAXES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*1,00,00*	*35,00*	*–65,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*50,97*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1135,50,00	1274,50,00	1200,69,17	–73,80,83
पूरक	Supplementary	139,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	265,10,00	265,12,00	41,49,37	–223,62,63
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				221,77,17

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *75.00 लाख* रु. का *विनियोग* दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (7380.83 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 13900.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 53 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.75.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.7380.83 lakhs) constituted 53 percent of the supplementary grant of Rs.13900.00 lakhs obtained in February, 2004 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2037'' सीमा शुल्क	Major Head "2037" Customs				
मू.	O.	41415.00			
पू.	S.	9155.00	50337.71	45011.12	–5326.59
पु.	R.	–232.29			
मुख्य शीर्ष "2038'' संघ उत्पाद शुल्क	Major Head "2038" Union Excise Duties				
मू.	O.	72135.00			
पू.	S.	4745.00	77112.29	75058.05	–2054.24
पु.	R.	232.29			

(I) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2037'' - "निवारक तथा अन्य कार्य''-

(क) "समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन''- 22753.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2298.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 25051.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 3588.94 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, किराए में संशोधन को अंतिम रूप देने में विलंब होने और परिसरों को किराए पर लिए जाने के कारण हुई।

(ख) "राजस्व आसूचना निदेशालय''- 2351.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2451.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 155.98 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पुरस्कार नीति में परिवर्तन होने और महंगे उपस्करों की अधिप्राप्ति से संबंधित कई लंबित मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2037"-"Preventive and other Functions"-

(a) "Sea Customs-Major Ports"- the original provision of Rs.22753.00 lakhs was augmented to Rs.25051.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2298.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.3588.94 lakhs (including supplementary grant) due to non-filling up of vacant posts, delay in finalisation of revision of rent and hiring of premises.

(b) "Directorate of Revenue Intelligence" – the original provision of Rs.2351.00 lakhs was augmented to Rs.2451.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.155.98 lakhs (including supplementary grant) due to non-finalisation of several pending cases on account of change in reward policy and procurement of costly equipments.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2038'' - ''निदेशन और प्रशासन - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय'' - 1375.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 18.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1393.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 48.97 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) पुरस्कार संबंधी लंबित मामलों और आवास किराए पर लिए जाने को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) Major head "2038" – "Direction and Administration – Directorate General Central Excise Intelligence" – the original provision of Rs.1375.00 lakhs was augmented to Rs.1393.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.18.50 lakhs. However, there was a saving of Rs.48.97 lakhs (including supplementary grant) due to non-finalisation of pending reward cases and hiring of accommodations.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads also remained unutilised to the extent shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2037'' - ''राजस्व एवं आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - मुख्य पत्तन''- 12555.65 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4025.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 16580.65 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, 1472.49 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(A) Major Head "2037" – "Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions – Sea Customs – Major Ports" – the original provision of Rs.12555.65 lakhs was augmented to Rs.16580.65 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4025.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1472.49 lakhs; and

(खा) मुख्य शीर्ष ''2038'' - ''संग्रहण प्रभार - कमिशनरेट (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)''- 64716.95 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3297.82 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 68014.77 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 1161.45 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2038" – "Collection Charges – Commissionerates (including field offices)" – the original provision of Rs.64716.95 lakhs was augmented to Rs.68014.77 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3297.82 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1161.45 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, किराए में संशोधन और परिसरों को किराए पर लेने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में विलंब होने आदि के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, delay in finalisation of revision of rent and hiring of premises etc.

(III) मुख्य शीर्ष ''2037'' - ''निवारक तथा अन्य कार्य - समुद्री सीमा शुल्क - लघु पत्तन'' के अंतर्गत 293.00 लाख रु. की बचत (1700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा शुल्क के समानुपातिक प्रभारों के आबंटन के लिए उपयुक्त सूत्र को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से मुख्य शीर्ष ''2038'' - ''अन्य व्यय'' से कम प्रभार अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2037" – "Preventive and other Functions – Sea Customs – Minor Ports" – saving of Rs.293.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1700.00 lakhs) was due to transfer of less charges from Major Head "2038" - Other Expenditure" owing to non-finalisation of proper formula for distribution of proportionate charges for customs duties.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2038'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2038" – "Other Expenditure"- savings occurred under the following heads:-

(का) "भूमि सीमा शुल्कों का संग्रहण''- 450.10 लाख रु. की बचत (1286.55 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य शीर्ष "2037'' - "सीमा शुल्क'' के अंतर्गत नवगठित कमिशनरेटों को सीमा शुल्क संबंधी कार्य अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(A) "Collection of Land Customs" – saving of Rs.450.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1286.55 lakhs) was due to transfer of customs work to the newly created commissionerates under Major head "2037" – "Customs".

(खा) "बैंडरोल तथा संघ उत्पाद शुल्क स्टाम्पों और लेबलों के मुद्रण इत्यादि की लागत''- 905.61 लाख रु. की बचत (1727.15 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोड़ीदार (मैच) उत्पाद शुल्क बैंडरोल की मांग में कमी आने के परिणामस्वरूप बिलों की प्रतिपूर्ति के लिए कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Cost of Printing etc. of Banderol and Union Excise Stamps and Labels" – saving of Rs.905.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1727.15 lakhs) was due to lesser requirement for reimbursement of bills consequent upon reduced demand for the Match Excise Banderols.

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2038'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2038"- under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन - निरीक्षण''- 223.17 लाख रु. का अधिक व्यय (993.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2743.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निदेशालय के नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने और अतिरिक्त आवास किराए पर लिए जाने के कारण हुआ।

(A) "Direction and Administration – Inspection" – excess of Rs.223.17 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2743.00 lakhs including supplementary grant of Rs.993.00 lakhs) was due to opening of new zonal offices of the Directorate and hiring of additional accommodation.

(खा) "संग्रहण प्रभार - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के वेतन तथा लेखा कार्यालय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड''- 114.21 लाख रु. का अधिक व्यय (1078.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए वेतन तथा लेखा कार्यालय खोले जाने और इन कार्यालयों के लिए अतिरिक्त आवास आदि किराए पर लिए जाने के कारण हुआ।

(B) "Collection Charges – Pay and Accounts Offices (Central Excise) of Principal Chief Controller of accounts, CBEC" – excess of Rs.114.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1078.60 lakhs) was due to opening of new Pay and Accounts Offices and hiring of additional accommodation etc. for these offices.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services				
मू.	O.	22510.00	1514.38	1519.37	+4.99
पु.	R.	–20995.62			
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1500.00	1629.23	1602.18	–27.05
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	128.23			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	2500.00	1191.22	1027.82	–163.40
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–1309.78			

(I) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक और अन्य कार्य" के अंतर्गत 20985.63 लाख रु. की बचत (22500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान न किए जाने और अन्य प्रस्ताव को चरणों में लागू किए जाने का निर्णय लिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4047"- "Customs - Preventive and Other Functions"- saving of Rs.20985.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22500.00 lakhs) was due to non-clearance of procurement proposals by the Cabinet and decision to implement other proposal in phases.

(II) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के

(II) Under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Customs and Central Excise Employees - Acquisition of Ready built flats" - saving of

अंतर्गत 1473.18 लाख रु. की बचत (अगस्त, 2003 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2501.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों के लिए तैयार निर्मित फ्लैटों की खरीद के लिए कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (128.23 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित आवास का अधिग्रहण" के अंतर्गत अगस्त, 2003 में 1.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 101.18 लाख रु. था।

Rs.1473.18 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2501.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in August, 2003) was due to non-finalisation of certain proposals for purchase of ready built flats for the employees.

5. The above savings were partly (Rs.128.23 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1.00 lakh in August, 2003 under Major Head "4059" – "Office Building- Other Expenditure - Acquisition of Ready Built Accommodation". Actual excess, however, was Rs.101.18 lakhs.